बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

संख्या–14 / स्था०–01–01 / 2025– 698 पटना / दिनांक– 5/1/26

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–14 / स्था०–01–01 / 2025–6868 दिनांक–16.12.2025 द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) को उनके नाम के स्तंभ के सम्मुख स्तंभ–7 में अंकित कार्यालय / विभाग में अगले आदेश तक निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम / गृह जिला	पिता / पति का नाम स्थायी पता	पंजीयन सं0	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नं0	जन्म तिथि	पदस्थापित कार्यालय / विभाग का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	पूजा सिन्हा प्रीतू / पटना	W/o पुनीत कुमार, फ्लैट नं0–406, टावर–1, आर0आर0 बिल्डर एण्ड डेवलपर्स, संचार नगर, आदमपुर, लखनीबीघा, पो0–खगौल, थाना–दानापुर, पटना–801105	BR0015001005888O	2	01.03.1983	सिंचाई विद्युत–सह–यॉंत्रिक प्रमंडल, पटना।

2. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं तथा शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानते हुए की जा रही है। यदि भविष्य में उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाती है तो इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। संबंधित कार्यालय / विभाग अपने स्तर से भी नवनियुक्त कनीय अभियंता की शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अभिलेखों की जाँच कर लेंगे।

3. यह पदस्थापन नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) के पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

4. नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) को निदेश दिया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर नव पदस्थापित कार्यालय / विभाग में शैक्षणिक योग्यता, आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र एवं अन्य वाँछित कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ योगदान समर्पित करना सुनिश्चिम करेगें।

5. नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय/विभाग में योगदान की तिथि से भुगतेय होगा।

6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उनके कार्यालय/विभाग में पदस्थापित कनीय अभियंता (विद्युत) का योगदान प्रतिवेदन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. संबंधित कार्यालय/विभाग को यह निदेशित किया जाता है कि पूर्व से नियोजित/सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) की योगदान की स्वीकृति एवं वेतनादि की निकासी की कार्रवाई पूर्व में कार्यरत संस्थान के सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र/विरमन पत्र की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् करेंगे एवं इसकी सूचना इस विभाग को भी उपलब्ध करायेगें।

8. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) का तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करेगें तथा नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेगें। यदि तीन माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) की वेतनादि का भुगतान तब तक नहीं की जायेगी जब तक जल संसाधन विभाग से इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं०–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत) का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (PRAN No-) निश्चित रूप से सृजित कर लिया जाय।

10. नव पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

11. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित /रद्द कर दिया जायेगा।

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

संचिका संख्या–14/स्था0–01–01/2025– 688 /पटना, दिनांक– 5/2/26

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

संचिका संख्या–14 / स्था0–01–01 / 2025– 688 / पटना, दिनांक– 5/2/26

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/2/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

संचिका संख्या–14 / स्था0–01–01 / 2025– 688 / पटना, दिनांक– 5/2/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सभी अपर सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना/निदेशक, वाल्मी, पटना/सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग/सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/2/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

संचिका संख्या–14 / स्था0–01–01 / 2025– 688 / पटना, दिनांक– 5/2/26

प्रतिलिपिः– श्रीमती पूजा सिन्हा प्रीतू, नवनियुक्त कनीय अभियंता (विद्युत), पिता–श्री चित्रभुवन कुमार सिन्हा, W/o पुनीत कुमार, फ्लैट नं0–406, टावर–1, आर0आर0 बिल्डर एण्ड डेवलपर्स, संचार नगर, आदमपुर, लखनीबीघा, पो0–खगौल, थाना– दानापुर, पटना–801105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/2/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

संचिका संख्या–14 / स्था0–01–01 / 2025– 688 / पटना, दिनांक– 5/2/26

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/2/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।